भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

एनएमए की 514वीं आरजीपी बैठक का कार्यवृत्त

स्थान-तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, एनएमए

दिनांक और समय- 27 मार्च, 2026 पूर्वाह्न 10:30 बजे

*****

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. सुश्री वंदना जैन, अध्यक्ष, एनएमए- **अध्यक्ष**
2. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, एनएमए
3. कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, एनएमए

कार्यसूची 01

513वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची 02

ऑनलाइन नए मामले

मामला संख्या 01

(श्री नरेश कुमार गुप्ता और श्रीमती सुशील गुप्ता, प्लॉट नं. वाई-17, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर वाई-17, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली में 18.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 1 एफ = 2 एफ = 3 एफ = 125.40 वर्ग मीटर और बेसमेंट की गहराई = 03.66 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह की जलनिकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

मामला संख्या 02

(श्री मयंक जैन और श्री नितिन जैन, एक्स-45, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने एक्स-45, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली में 18.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = 1 एफ = 2 एफ = 3 एफ = 125.37 वर्ग मीटर, बेसमेंट = 125.31 वर्ग मीटर और बेसमेंट की गहराई = 03.00 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह की जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

मामला संख्या 03

(श्री विवेक कुमार मित्तल और श्रीमती कपिला मित्तल, 20-सी, ग्राउंड फ्लोर, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली)

प्लॉट नं. बी-1/21, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029 में आवासीय भवन के निर्माण के लिए आवेदन की जांच के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया क्योंकि भवन योजना के क्षेत्र विवरण में तीसरी मंजिल के प्रस्तावित कवर क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया था। आवेदक टिप्पणी का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

मामला संख्या 04

(श्री राजीव गुप्ता और श्री राजेश गुप्ता, बीपी-43, शालीमार बाग पश्चिम, दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने 2809, अशोक गली, रामबाजार धोबी वाडा गंदा नाला, मोरी गेट, दिल्ली-110006 में 17.42 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 3 मंजिलों के साथ जीएफ = 1 एफ = 2 एफ = 3 एफ = 27.85 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति

देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 05</u>

(एल्गॉक्वांट फाइनेंशियलस एलएलपी अपने पार्टनर श्री देवांश गुप्ता के माध्यम से, पहली मंजिल 4/ 10 आसफ अली रोड, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर-बी-21, ब्लॉक नंबर 4, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002 में 17.14 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ भूतल + जीएफ + 2 मंजिलों के साथ बेसमेंट = 344.998 वर्ग मीटर, जीएफ = 343.928 वर्ग मीटर, 1 एफ = 2 एफ = 247.729 वर्ग मीटर, बेसमेंट गहराई = 03.75 मीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह की जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

*****